एकता! विकास! संघर्ष!

—: सत्यमेव जयते :—

उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएषन

132 के0 वी0 सब स्टेषन माजरा, जिला — देहरादून।

सोसाइटीज रजिस्ट्रेषन अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकरण संख्या 277

अखिलभारतीय पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ एवं रा0वि0प0 जूनियर इंजीनियर्स संगठन उ0प्र0 से सम्बद्व

पत्रांक 16 /उ.पा.जू.इ.ऐ. / अध्यक्ष दिनांक 10जनवरी 2021

कार्यालय ज्ञाप

एतदद्वारा उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन के सेवानिवृत्त सदस्यों के हित चिन्तन हेतू, उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन (सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ) का गठन किया जाता है। यह प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन के केन्द्रीय कार्यालय में ही कार्य करेगा ।

सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ का उद्देश्य :—

उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन (सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ), उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन के समस्त सेवानिवृत्त सदस्योंएवं पारिवारिक पेंशनरों के हितों की रक्षा करना, जीवन से मृत्यु तक का साथ निभाना, दुख एवं सुख में साथ निभाना, जीवन के अन्तिम क्षणों से शुद्धिकरण तक का समस्त दायित्व निभाना, ऐसे पारिवारिक सदस्य जो साधन विहीन हो उसकी आर्थिक रूप से मदद करना। ऐसे सदस्य जिसके परिवार में कोई सदस्य अन्तिम क्रिया आदि के लिये उपलब्ध न हो उसकी आर्थिक मानसिक व सामाजिक रूप से मदद करना, सदस्यों को मनोरंजन एवं उन्नति की राह पर अग्रसारित करना। समय—समय पर शासन, सरकार व ऊर्जा विभाग से सम्पर्क कर सेवानिवृत्त सदस्यों की समस्याओं का समाधान कराना। आपस में प्यार, श्रद्धा एवं भाई—चारे की भावना जागृत करना आदि संस्था का उद्देश्य होगा। सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन का अभिन्न अंग होगा जो स्वतन्त्र रूप से सेवानिवृत्त सदस्यों की समस्याओं का निराकरण कराने के लिए सरकार, शासन एवं निगम प्रशासन से वार्ता करने में सक्षम होगा।

उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन (सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ) में सदस्य उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन के सेवानिवृत्त सदस्य होंगे। यह प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन के संविधान के अनुरूप कार्य करेगा।सुलभ सन्दर्भ हेतू पदाधिकारीयों के अधिकार एवं कर्तव्यसंलग्न हैं।

उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन (सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ) का गठन :—

ऊर्जा विभाग के तीनों विद्युत निगमों,यूजेवीएन लिमिटेड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 एवं उत्तरप्रदेश राज्य विद्युत परिषद से सेवानिवृत अवर अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता संवर्ग से प्रोन्नत अभियन्ता जो उत्तराखण्ड में निवास कर रहे हो, उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन (सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ) के सदस्य हो सकते है। उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन (सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ) की कार्यकारिणी में निम्न लिखित पद होंगे।

1. संरक्षक — 1 पद
2. अध्यक्ष — 1 पद
3. वरिष्ठ उपाध्यक्ष — 1 पद
4. उपाध्यक्ष — 1 पद
5. सचिव — 1 पद
6. उपसचिव (कुमाऊं क्षेत्र) — 1 पद
7. उपसचिव (गढ़वाल क्षेत्र) — 1 पद
8. उपसचिव (यूजेवीएन लि0) — 1 पद
9. वित्तसचिव — 1 पद
10. लेखा निरीक्षक — 1 पद
11. संगठन सचिव — 1 पद
12. प्रचार सचिव — 1 पद

नोट 2 –उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन (सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ) अपने दैनिक क्रियाकलापों एवं कार्यक्रमों के लिये सेवानिवृत्त सदस्यों से वार्षिक शुल्क लेगा और उसके आय व्यय के हिसाब रखने के लिये स्वतंत्ररूप से उत्तरदायी होगा।

नोट 3 –उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन (सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ) में वार्षिक शुल्क की धनराशी का निर्धारण सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी के द्वारा किया जायेगा।

1. सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ का कोष मुख्यालय (देहरादून) में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराया जायेगा।
2. बैंक में लेन–देन संयुक्त रूप से वित्त सचिव तथा अध्यक्ष/सचिव में से एक के हस्ताक्षर से किया जायेगा।
3. छपी हुई रसीद (स्थाई रसीद) से ही वित्त सचिव/उपसचिव को धन एकत्र करने का अधिकार होगा।
4. सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ के व्यय में यात्रा सदस्यों के दुख–सुख, आम/गोष्ठी आदि के आयोजन, किसी समउद्देशीय संस्था की सदस्यता व सहयोग एवं अन्य किसी प्रकार के व्यय शामिल होंगे।
5. 75 वर्षो से अधिक की आयु वाले वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित करने पर होने वाला व्यय भी सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ के कोष के अर्न्तगत होगा।

नोट 3:–**उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन (सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ) के गठन की सम्पूर्ण प्रक्रिया श्री जी एन कोठीयाल निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष एवं वर्तमान आजीवन संरक्षक उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन द्वारा पूर्ण की जायेगी। पदाधिकारीयों के निर्वाचन /मनोनयन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर केन्द्रीय अध्यक्ष उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन द्वारा विधिवत कार्यालय ज्ञापन निर्गत किया जायेगा।**

कार्यालय ज्ञापन निर्गत होने के पश्चात अद्योहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में निर्गतउत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन सेवानिवृत्त सदस्य, समस्या निवारण प्रकोष्ठ का गठन का आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(जगदीश चन्द्र पन्त)
केन्द्रीय अध्यक्ष

प्रतिलिपिसमस्त पदाधिकारी उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशनको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित :–

(जगदीश चन्द्र पन्त)
केन्द्रीय अध्यक्ष

साधारण सदस्यों के कर्त्तव्य/अधिकार :–

सभा में सहभागिता निभाना, अपने व अपने परिवार के उद्देश्यों की पूर्ति एवं दुखः सुख में साथ निभाना। सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ को समय–समय पर अपने विचारों एवँ सुझावों से अवगत कराना। सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ को मजबूती प्रदान करना तथा कार्यकारिणी के गठन के लिये अच्छे कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी के रूप में चुनना/मनोनयन करना।

अति आवश्यक सूचनाः–

किसी सदस्य के निधन पर या दुर्घटना होने पर अन्य किसी कठिनाई व विषम परिस्थिति में अधिक से अधिक सदस्यों को टेलीफोन/मोबाईल द्वारा एक दूसरे से संपर्क कर एकत्र होकर सहभागिता निभानी होगी।

सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–

सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ का चुनाव/मनोनयन आम सभा में होगा जिसमें संरक्षक के अतिरिक्त मात्र 11 पद होंगे। चुनाव अधिकारी आम सभा के द्वारा मनोनीत किया जायेगा। चुनाव प्रक्रिया में चुनाव अधिकारी का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

8.1 प्रबन्ध कार्यकारिणी सभा :–

अध्यक्ष :–

1. नीति निर्धारण में सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ का पथ प्रदर्शन करेगा। सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होगा। बैठकों में अध्यक्षता करेगा।
2. सचिव की सलाह पर आदेश पारित करेगा।
3. सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ के हितार्थ ऊर्जा निगमों के प्रबन्धन/सरकार/शासन से पत्राचाार तथा वार्ता करेगा।
4. सचिव की सलाह पर बैठकों के कार्य योजना (एजेण्डा) की तिथि व समय का निर्धारण करेगा।
5. वरिष्ठ उपाध्यक्ष/उपाध्यक्ष को सुविधानुसार अपने अधिकार दे सकता है।
6. अध्यक्ष को केवल महासभा द्वारा हठाया जा सकता है या वह स्वयं त्याग पत्र दे।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष :–

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ हित में प्रयोग करेगा।
2. वरिष्ठ उपाध्यक्ष को केवल महासभा द्वारा हठाया जा सकता है या वह स्वयं त्याग पत्र दे।

उपाध्यक्ष :–

1. अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त अधिकारों का सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ हित में प्रयोग करेगा।
2. उपाध्यक्ष को महासभा द्वारा हठाया जा सकता है या वह स्वयं त्याग पत्र दे।

सचिव :–

1. सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ द्वारा निर्धारित नीतियों के अन्तर्गत कार्य करेगा।
2. सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ की ओर से पत्र व्यवहार करेगा।
3. सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ की बैठक का संचालन एवं कार्यवाही का अभिलेख रखेगा।
4. सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ की ओर से प्रतिनिधित्व करेगा।
5. अध्यक्ष की अनुमति से सभा/आम सभा की बैठक बुलायेगा, यदि दो बार प्रार्थना करने पर भी अध्यक्ष अनुमति न दे तो उसे बैठक बुलाने का अधिकार होगा।
6. सचिव के पास खर्च के लिये अग्रिम रू0 5000 नगद धनराषि होगी तथा रू0 1000 तक के बिल सचिव स्वयं पास करेंगे इससे ऊपर के बिल अध्यक्ष द्वारा पास किया जायेगें।
7. सचिव को महासभा हठा सकती है या स्वयं त्याग पत्र दे।

उपसचिव (कुमांऊ/गढ़वाल/यूजेवीएन लि0) :–

1. उपसचिव अपने–अपने क्षेत्रों में बैठकें करेगें, तथा सदस्यों की समस्याओं के समाधान में अग्रणी भूमिका निभायेगें।
2. सदस्यों की समस्याओं के निराकरण के लिये अध्यक्ष/सचिव को अवगत करायेगें।
3. सदस्यों से वार्षिक शुल्क जमाकर वित्त सचिव को प्रेषित करेंगे।
4. स्थानीय स्तर पर ट्रेजरी (कोषागार) से समस्याओं का समाधान करायेगें।
5. अपने–अपने क्षेत्रों में वर्ष में 4 बार अवश्य बैठक कर आपस में मिल कर **उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन एवं प्रकोष्ठ** को प्रभावशाली एवं मजबूत बनायेगें।

वित्त सचिव :–

1. लेखा नियमों के अनुरूप एकत्रित धन को राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में जमा करना।
2. लेखा पुस्तिका लिखना तथा आय–व्यय का सम्पूर्ण विवरण अंकित करना।
3. सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ के सदस्यों को क्रम संख्या एवं सदस्यता प्रमाण पत्र देना।
4. अध्यक्ष/सचिव के द्वारा पास किये गये रू0 1000 से ऊपर के बिलों का भुगतान चैक के द्वारा करना।
5. विवादित समस्याओं में अध्यक्ष की अनुमति से कार्य करना।

लेखा निरीक्षक :–

1. वर्ष में कम से कम एक बार लेखा निरीक्षण करना।
2. अध्यक्षके निर्देश पर अनेक बार भी लेखानिरीक्षण कर लेखा रिर्पोट सचिव को प्रस्तुतकरना।
3. अध्यक्ष/वरिष्ठ उपाध्यक्ष/उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करना।

संगठन सचिव :–

1. सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।
2. सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ में भाई–चारे, पद प्रतिष्ठा एवं पारिवारिक माहौल कायम करना।
3. सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ में सदस्यों के दिल में विश्वास की भावना कायम करना।
4. अपने इष्टदेव को साक्षी मानते हुये सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ के उत्थान के लिये कार्य करना।
5. अध्यक्ष/सचिव के निर्देशों को समस्त सदस्यों को प्रेषित करना।

(जगदीश चन्द्र पन्त)
केन्द्रीय अध्यक्ष